राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्व निगरानी कोलो. संख्या 53/2003/बीकानेर धन्ना राम बनाम मनीराम वगै0

निगरानी अन्तर्गत धारा 23(2) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम इन्दिरा गांधी केनाल नियम

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2020	**एकलपीठ** **मोडू दान देथा, सदस्य** **उपस्थित :** **श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ अभिभाषक निगरानीकार** **श्री ओ0पी0 भट्ट उप राजकीय अभिभाषक** प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्रगढ़ मुख्यालय बीकानेर ने निगराकार को चक 28 केजेडी का मुरबा संख्या 228/38, 25 बीघा अनकमाण्ड आवंटन दिनांक 08.03.1989 को करने का आदेश दिया। जिससे व्यथित होकर वर्तमान अप्रार्थी मनीराम ने जिला कलक्टर को प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 22(3) इन्दिरा गांधी नहर प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर ने प्रार्थना पत्र संख्या 54/01 राजस्व विविध को अपने आदेश दिनांक 04.10.2002 द्वारा आवंटन को निरस्त किया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी प्रस्तुत की। विद्वान वकुलाय की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विशेष आवंटन दिनांक 08.03.1989 को होकर 25.03.1989 को कब्जा दे दिया गया और प्रार्थी ने राशि जमा करवा दी। आवंटन की किन्ही शर्तों का प्रार्थी ने उल्लंघन नहीं किया था एवं न ही कोई तथ्य छिपाया था ऐसी स्थिति में यदि विवरण में कोई त्रुटि थी तो उसके कारण आवंटन निरस्त किया जाना नियमानुकूल नहीं था। प्रार्थी ने आराजी को विकसित किया है और आराजी प्रार्थी की धारण में सीलिंग सीमा से कम है। धन्ना राम बरवक्त आवंटन विधार्थी नहीं था जिला कलक्टर ने भूमि गणन में त्रुटि की है कि आवंटन के वक्त धन्नाराम के खाते में 19.78 है0 भूमि सादासर में और 1/5 शेयर 16 बीघा आराजी पिताजी के साथ था और 8.22 है0 खुद के नाम थी। अतः निगरानी स्वीकर कर निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जावे। उप राजकीय ने भी कथन किया कि तथ्यों को छुपाया था एवं आवंटन सही रूप से निरस्त हुआ है। अतः निगरानी खारिज की जावे।	
तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्व निगरानी कोलो. संख्या 53/2003/बीकानेर धन्ना राम बनाम मनीराम वगै0

	पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकुलाय के कथनों पर मनन किया गया। प्रार्थी का आवंटन जिला कलक्टर ने तथ्यों को छुपाने के कारण निरस्त किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी इस निगरानी के द्वारा कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है जहां तथ्यों को छुपाया हो वहां आवंटन निरस्त किया जाना उचित रहता है। अतः निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोडू दान देथा)** **सदस्य**	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए